Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon the Election Commission under the proviso to Section 7E of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by DMC (Amendment) Act, 2011 read with the provisions of Rules 27 of the Delhi Municipal Corporation (Preparation of Electoral Rolls) Rules, 1975, I, Rakesh Mehta, State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby direct that the electoral rolls of such Assembly Constituencies, for the time being in force, as relating to the above-mentioned wards of the three Municipal Corporations of Delhi, shown against each, shall be the electoral rolls for the said Municipal wards, for the purposes of the ensuing bye-elections to the said Wards as indicated above, to be held on 15th May, 2016.

RAKESH MEHTA, State Election Commissioner

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016

फा.सं.13(126)/यूटी/एमबी/2014/420.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 387 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .— (1) इन विनियमों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (नगर पालिका के अधिकारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं .— (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" का अर्थ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) से है;

(ख) "श्रेणी–क", "श्रेणी–ख", "श्रेणी–ग","श्रेणी–घ" पदों का अर्थ अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (4) में यथाविनिर्दिष्ट पद से है;

(ग) "नगर पालिका अधिकारी" में अधिनियम के अध्याय–VI के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के लिए नियुक्त कोई नगर पालिका अधिकारी अथवा अन्य नगर पालिका कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(घ) "धारा" का अर्थ अधिनियम की धारा से है,

(ङ) "सेवा नियम" का अर्थ विनियम 4 में संदर्भित नियमों से है।

(2) अधिनियम में तथा इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. किन पर लागू होंगे .— जब तक अधिनियम या इन विनियमों में उपबन्धित न हो तब तक ये विनियम उन सभी नगर पालिका अधिकारियों पर लागू होंगे, जिनके वेतन तथा भत्ते धारा 44 की उपधारा (1) में संदर्भित नई दिल्ली नगर परिषद् निधि के "सामान्य (जनरल) खाते" से प्रभार्य हैं।

शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके संबंध में इन विनियमों के अन्तर्गत मामले आते हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन बनाए गए विशेष उपबंध, उन व्यक्तियों पर लागू होंगे और उक्त उपबंध के अन्तर्गत न आने वाले विषयों के संबंध में ये विनियम लागू होंगे।

4. कुछेक नियमों का अनुप्रयोग .—समय–समय पर यथा संशोधित निम्नलिखित नियम, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके अन्तर्गत जारी आदेश सम्मिलित है, ऐसे नियमों या आदेशों के उपबंध जब तक अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत न हों, नगर पालिका अधिकारियों पर लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) मूलभूत नियम तथा अनुपूरक नियमावली (यात्रा भत्ता नियमों सहित);

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972;

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972;

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन विनिमय) नियमावली, 1981;

(v) पेंशन बकाया भुगतान (नामांकित), नियमावली, 1983;

(vi) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय नियमावली), 1960;

(vii) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964;

(viii) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965;

(ix) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा छूट), नियमावली, 1988

(x) केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन), नियमावली, 2008; तथा

(xi) केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा), नियमावली, 1965

5. नगर पालिका अधिकारियों की सेवा शर्तें .– (1) केन्द्रीय सरकार की सेवा में सरकारी सेवकों पर लागू सेवा नियम, जहां तक नगर पालिका अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं, अशोधनों सहित कि "किसी सरकारी सेवक", "भारत की समेकित निधि", "सिविल सर्जन" और " चिकित्सा समिति " के लिये सेवा नियमों के किसी संदर्भ में क्रमशः "किसी नगर पालिका अधिकारी", "नई दिल्ली नगर पालिका निधि", "स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी" तथा "चिकित्सा बोर्ड" के किसी संदर्भ के अर्थ में मान लिया जाएगा।

(2) सेवा नियमावली के अन्तर्गत प्रयोज्य कोई शक्ति (सेवा नियमावली बनाने की शक्ति के अतिरिक्त) –

(क) राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी।

(ख) विभागाध्यक्ष द्वारा, सचिव द्वारा अथवा आदेश द्वारा निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में ऐसे अन्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएगी।

(ग) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, निदेशक (कार्मिक) द्वारा अथवा आदेश द्वारा निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में ऐसे अन्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव मनकोटिया, उप सचिव (एमबी)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th April, 2016

No. F. 13(126)UD/MB/2014/420.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 43, read with sub-section (2) of section 387, of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the New Delhi Municipal Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the conditions of service of municipal officers, namely: -

1. **Short title and commencement.- (1)** These regulations may be called the New Delhi Municipal Council (Conditions of Service of Municipal Officers) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.- (1)** In these regulations, unless the context otherwise requires.-

(a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(b) "Category-A", "Category-B", "Category-C" and "Category-D" posts means the post as specified in sub-section (4) of section 34 of the Act;

(c) "municipal officer" includes a municipal officer or other municipal employee appointed to the New Delhi Municipal Council under Chapter VI of the Act;

(d) 'section' means a section of the Act;

(e) 'service rule" means the rules referred to in regulation 4.

(2) Words and expressions used in the Act and also in these regulations shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them in the Act.

3. **To whom applicable.**- Unless otherwise provided in the Act or these regulations, these regulations shall apply to all municipal officers whose pay and allowances are chargeable to the 'General Account' of the New Delhi Municipal Fund, referred to in sub-section (1) of section 44:

Provided that in regard to any person for whom in respect of matters covered by these regulations, special provision is made by or under any law for the time being in force, that special provision will apply and in respect of matters not covered by the said provision, these regulations shall apply.

4. **Application of certain rules.**- The following rules, as amended from time to time, including orders issued there under by the Central Government, in so far as the provisions of such rules or orders are not inconsistent with the provisions of the Act or rules or regulations made there under, shall apply to the municipal officers, namely:-

(i) the Fundamental Rules and Supplementary Rules (including Travelling Allowance Rules);

(ii) the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972;

(iii) the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972;

(iv) the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981;

(v) the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983;

(vi) the General Provident Fund (Central Rules), 1960;

(vii) the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964;

(viii) the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(ix) the Central Civil Services (Leave Travel Concessions) Rules, 1988;

(x) the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008; and

(xi) the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

5. Conditions of service of municipal officers. (1) The service rules applicable to the Government servants in the service of the Central Government shall, as far as may be, regulate the conditions of service of municipal officers, subject to the modifications that any reference in those service rules to a "Government servant", "the Consolidated Fund of India", "the Civil Surgeon" and "the Medical Committee" shall be construed as a reference respectively to a "municipal officer", "the New Delhi Municipal Fund", "the Medical Officer of Health" and "the Medical Board".

(2) Any power under the service rules (other than the power to make service rules) exercisable—

(a) by the President, shall be exercised by the Chairperson;

(b) by the Head of Department, shall be exercised by the Secretary or such other municipal officer as the hairperson may, by order, specify; and

(c) by the Head of Office, shall be exercised by the Director (Personnel) or such other municipal officer as the Chairperson may, by order, specify.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV MANKOTIA, Dy. Secy. (M.B.)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016

सं. फा. 16(521)/श0वि0/डब्ल्यू /2015/481—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 30.1.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 07.07.2015 के पत्र सं0 3/24(4)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 29.08.2003 की अधिसूचना संख्या फा0 16(388)/श0वि0/जल/2003/7913 द्वारा अधिसूचित मुख्य जल विश्लेषक भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **मुख्य जल विश्लेषक** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **मुख्य जल विश्लेषक** के पद की भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :